न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा।
बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 29/17
बउनवान

1. रामदेव पुत्र गोबरीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम खेडी तहसील कनवास जिला कोटा।

—वादी—

—बनाम—

1. माणकचंद पुत्र गोबरीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम खेडी तहसील कनवास जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण—

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 54, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थितः—

1. वादी की ओर से एडवोकेट श्री रेवतीरमण नागर
2. प्रतिवादी नबंर 01 व 02 के विरूद्व एक तरफा।

— निर्णय— **22.02.2022**

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी नबंर 01 के संयुक्त खाते की आराजी माल ग्राम खेडी पटवार हल्का झालरी तहसील कनवास की खाता संख्या 80 नई की खसरा नबंर 86 रकबा 0.29 हैक्टयर, खसरा नबंर 87 की रकबा 1.10 हैक्टयर, खसरा नबंर 119 की रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नबंर 120 की रकबा 1.64 हैक्टयर, खसरा नबंर 121 की रकबा 0.81 हैक्टयर, खसरा नबंर 182 की रकबा 0.60 हैक्टयर, खसरा नबंर 232/491 की रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नबंर 234 की रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नबंर 235 की रकबा 0.32 हैक्टयर, खसरा नबंर 378 की रकबा 2.70 हैक्टयर, खसरा नबंर 415 की रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नबंर 416 की रकबा 2.36 हैक्टयर, खसरा नबंर 441 की 0.87 हैक्टयर, खसरा नबंर 469 की 0.81 हैक्टयर, खसरा नबंर 470 की रकबा 3.13 हैक्टयर, खसरा नबंर 470/490 की रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नबंर 471 की 0.10 हैक्टयर कुल खसरा किता 17 की रकबा 14.78 हैक्टयर, आराजी स्थित है।

यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी नबंर 01 की पुश्तैनी आराजी है, जिसमें वादी के पिताजी व माताजी के समय से आपसी विभाजन हो रहा है, तथा वादी एवं प्रतिवादी नबंर 01 के पिताजी समय से ही अपने —अपने हिस्सों पर आपसी सहमति से कब्जे काश्त विगत 20 वर्षों से करते आये हैं।

यह कि वादी उपरोक्त वर्णित आराजी में से आपसी सहमिति से ग्राम खेडी पटवार मण्डल झालरी के खसरा नबंर 121 की रकबा 0.81 है, खसरा नबंर 120 की रकबा 0.81 हैक्टयर, खसरा नबंर 182 की रकबा 0.40 हैक्टयर, खसरा नबंर 470 की रकबा 1.61 हैक्टयर, खसरा नबंर 470/490 की रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नबंर 441 की रकबा 0.83 हैक्टयर, खसरा नबंर 378 की रकबा 2.70 हैक्टयर, खसरा नबंर 232/491 की रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नबंर 234 की रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नबंर 235 की रकबा 0.32 हैक्टयर कुल किता 10 की रकबा 7.55 हैक्टयर पर काश्त करता आया है।

उप जिला कलक्टर
एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
कनवास जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

यह कि प्रतिवादी नबंर 01 वाद पत्र के पेरा नबंर 01 में वर्णित ग्राम खेडी पटवार मण्डल झालरी की आराजी में से खसरा नबंर 86 की रकबा 0.29 हैक्टयर, खसरा नबंर 87 की रकबा 1.10 हैक्टयर, खसरा नबंर 182 की रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नबंर 120 की रकबा 0.83 हैक्टयर, 119 की 0.01 हैक्टयर, खसरा नबंर 471 की 0.10 हैक्टयर, खसरा नबंर 470 की रकबा 1.52 हैक्टयर, खसरा नबंर 469 की रकबा 0.81 हैक्टयर, खसरा नबंर 415 की रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नबंर 416 की रकबा 2.36 हैक्टयर किता 10 की रकबा 7.23 हैक्टयर भूमि पर कब्जा काश्त करता आ रहा है।

यह कि वादी द्वारा प्रतिवादी नबंर 01 से कई बार खाता विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी नबंर 01 से कई बार खाता विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी नबंर 01 जानबुझकर खाता विभाजन नहीं करवाना चाहता था, जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद विभाजन हेतु पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र के पेरा नबंर 01 में वर्णित आराजी को वादी एवं प्रतिवादी में विभाजन की डिक्री पारित की जाकर पेरा नबंर 03 व 04 में वर्णितानुसार अथवा माननीय न्यायालय जैसा उचित समझे विभाजन की डिक्री पारित की जाकर विभाजन किया जावे तथा राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई, प्रतिवादी नबंर 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उसके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली पर जवाब पत्रावली पर बहस एक तरफा सुनी गई। वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली में जवाब सरकार व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी की ओर से वादी के वाद का खण्डन नहीं किया गया।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी नबंर 01 के संयुक्त खाते की आराजी माल ग्राम खेडी पटवार हल्का झालरी तहसील कनवास की खाता संख्या 80 नई की खसरा नबंर 86 रकबा 0.29 हैक्टयर, खसरा नबंर 87 की रकबा 1.10 हैक्टयर, खसरा नबंर 119 की रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नबंर 120 की रकबा 1.64 हैक्टयर, खसरा नबंर 121 की रकबा 0.81 हैक्टयर, खसरा नबंर 182 की रकबा 0.60 हैक्टयर, खसरा नबंर 232/491 की रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नबंर 234 की रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नबंर 235 की रकबा 0.32 हैक्टयर, खसरा नबंर 378 की रकबा 2.70 हैक्टयर, खसरा नबंर 415 की रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नबंर 416 की रकबा 2.36 हैक्टयर, खसरा नबंर 441 की 0.87 हैक्टयर, खसरा नबंर 469 की 0.81 हैक्टयर, खसरा नबंर 470 की रकबा 3.13 हैक्टयर, खसरा नबंर 470/490 की रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नबंर 471 की 0.10 हैक्टयर कुल खसरा किता 17 की रकबा 14.78 हैक्टयर भूमि का कब्जे–काश्त अनुसार पृथक–पृथक भूमि विभाजन करने की प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती है। तहसीलदार कनवास को आदेश की प्रति भिजवायी जाकर आदेश दिये जाते हैं, कि राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 अनुसार उक्त आराजी का खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

उप जिला कलक्टर
सघोश जागा (आर0ए0एस0)
एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा
कनवास

Scanned with ACE Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईलास राजेश डागा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या:-29/17 निर्णय दिनांक 25.01.23
जीसीएमएस 2017/526

बउनवान

1. रामदेव आत्मज गोबरीलाल आयु 52 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम खेडी तहसील कनवास जिला कोटा राज0

वादी

बनाम

1. माणकचंद आत्मज गोबरीलाल आयु 46 वर्ष जाति धाकड़ निवासी ग्राम खेडी तहसील कनवास जिला कोटा राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-
वादी की ओर से एडवोकेट श्री रेवतीरमण नागर
प्रतिवादी कम 1 की ओर से एक तरफा
प्रतिवादी कम 2 की तरफ से तहसीलदार कनवास

वाद अन्तर्गत धारा 54 आर.टी.एक्ट

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रकरण संख्या 29/17 में निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 22.02.22 जारी की गई। उक्त प्रकरण मे इस कार्यालय के आदेश क्रमाक 783 दिनांक 05.04.22 व 1983 दिनांक 18.08.22 से तहसीलदार कनवास को तकास्मा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पालना में पटवार हल्का झालरी व भू0अभि0देवली व तहसीलदार कनवास द्वारा ग्राम खेडी तहसील कनवास के खाता संख्या 81 की कुल किता 17 रकबा 14.78 का विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण किया गया। तहसीलदार कनवास से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.01.2023 को प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किए गए।

वादी द्वारा बहस एक तरफा विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। वादी द्वारा वाद पत्र को अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया वाद पत्र प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। वादी के उजारत सही प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट तहसीलदार कनवास के विभाजन प्रस्ताव अनुसार ग्राम खेडी पटवार हल्का झालरी तहसीलदार कनवास में स्थित आराजी खसरा नं0 470/490 की 0.01 है0 गे0मु0 चाह व आबादी हिस्सा 1/2 राहिन हिस्सा 1/2

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक कनवास के 1/2 हिस्से में दर्ज किये जाने के एवं इसी प्रकार खसरा नं0 470/490 की रकबा 0.01 है0 गे0मु0 चाह एवं गे0 मु0 आबादी हिस्सा 1/2 माणकचंद एवं रामदेव संयुक्त खाते में दर्ज की जाने एवं वादी रामदेव पुत्र गोबरीलाल जाति धाकड सा. देह खातेदार के पृथक खाते में ग्राम खेडी पटवार हल्का झालरी के खाते में खसरा नं0 120/2 की 0.80 है0 पश्चिमी तरफ, खसरा नं0 121 की 0.80 है0 सम्पूर्ण, खसरा नं0 182/2 उतरी 0.40 है0, खसरा नं0 232/491 की 0.04 है0 सम्पूर्ण, खसरा नं0 234 की रकबा 0.02 है0 सम्पूर्ण इसी प्रकार खसरा नं0 235 की 0.32 है0 सम्पूर्ण, खसरा नं0 378 की 2.70 है0 सम्पूर्ण खसरा नं0 441 की 0.83 है0 सम्पूर्ण, खसरा नं0 470/2 की पश्चिमी तरफ 1.46 है0 कुल किता 9 की 7.38 है खाते में पृथक से खाता एवं लगान दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। रहन आई0सी0आई0सी0आई बैंक लिमिटेड शाखा कनवास यथावत रहेगा।

इसी प्रकार प्रतिवादी माणकचंद पुत्र गोबरीलाल जाति धाकड के पृथक खाते में खसरा नं0 86 की 0.29 है0, खसरा नं0 87 की 1.10 है0, खसरा नं0 119 की 0.01 है0 गे0मु0चाह खसरा नं0 120/1 की पूर्वी तरफ 0.84 है0, खसरा नं0 182/1 की 0.20 है0 दक्षिणी तरफ, खसरा नं0 415 की 0.01 है0 गे0मु0 चाह एवं आबादी सम्पूर्ण, खसरा नं0 416 की 2.36 है0, सम्पूर्ण रहेगी इसी प्रकार खसरा नं0 469 की 0.81 है0 सम्पूर्ण, खसरा नं0 470/1 की पूर्वी तरफ 1.67 है0, एवं खसरा नं0 471 की 0.10 है0 की सम्पूर्ण कुल किता 7 की रकबा 7.39 है0, प्रतिवादी माणकचंद पुत्र गोबरीलाल जाति धाकड़ सा. देह खातेदार के पृथक खाता एवं लगान कायम किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। रहन यथावत भारतीय स्टेट बैंक ए0डी0बी0 कोटा रहेगा।
वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित अतः उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन हेतु आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।
निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डांगा आर0ए0एस0
~~उपखण्ड अधिकारी कनवास~~
जिला कोटा